

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

ग्रा०पं०- नरैपार वि०ख०- डीघ जनपद- भदोही

ग्राम पंचायत में दिनांक...23...5...10...23 को ग्राम पंचायत की एक बैठक आहूत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया-

1- ग्राम पंचायत की एक बैठक ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया है-

क्रम	सदस्य का नाम	वर्गीकरण (महिला / अनु०जा० / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / गरीबी रेखा के नीचे / भूमिहीन)	पदनाम (अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष / सदस्य)	सम्पर्क सूत्र मोबाईल न०
1	सीमा सिंह	ग्राम प्रधान साठ	अध्यक्ष 58 वर्ष	9415257259
2	संजय सिंह चौहान	सा०	सचिव 48 वर्ष	8299688103
3	शशिनी सिंह	सा०	कोषाध्यक्ष 42 वर्ष	9936418313
4	खेतली देवी	अनु० जा०	सामान्य सदस्य 62 वर्ष	9935170075
5	सुकुन्ता देवी	सा०	सामान्य सदस्य 58 वर्ष	7523041528
6	शशी सिंह	सा०	सामान्य सदस्य 50 वर्ष	9621566950
7	धर्मदेव बट्टर सिंह	सा०	सामान्य सदस्य 46 वर्ष	9450786569
8	कल्लू राम	पिछड़ा वर्ग	सामान्य सदस्य 62 वर्ष	9984658759
9	दिनेश सिंह	सा०	सामान्य सदस्य 50 वर्ष	9936701628
10	रमाकान्त	अनु० जा०	सामान्य सदस्य 50 वर्ष	8128873180
11	रमेश कुमार सिंह	सा०	सामान्य सदस्य 50 वर्ष	8887797492
12	रमाशंकर	अनु० जा०	सामान्य सदस्य 51 वर्ष	9452020971
13	मानचन्द	अनु० जा०	सामान्य सदस्य 40 वर्ष	9695634757
14	दो टक	पिछड़ा वर्ग	सामान्य सदस्य 49 वर्ष	9118896818
15	मिथी लाल	अनु० जा०	सामान्य सदस्य 45 वर्ष	9956353078

2- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

3- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वयित कर सकें।

4- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं / सेवाओं हेतु रख-रखाव / उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।



- 5- कार्यक्रम की धनराशि के प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैंक में खाता खोलने एवं उसके संचालन की अनुमति प्रदान की गई।
- 6- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को योजना की रूपरेखा बनाने एवं उरो क्रियान्वित करने के स्तर पर नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार भुगतान करने एवं "Sign Off" हेतु अधिकृत किया गया। ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार जलापूर्ति एवं स्वच्छता की योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु तकनीकी विकल्पों पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
- 7- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित सेवाओं हेतु उपयुक्त अधिकारी एवं सेवा प्रदाता एजेन्सी के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) एवं स्वीकृत पत्र (CONSENT) एवं अनुबन्ध पत्र (CONTRACT) हस्ताक्षरित करें।
- 8- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का उपार्जन कर उपलब्ध कराये तथा उस सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।
- 9- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उसकी समस्त गतिविधियों को करने में पूर्ण सहयोग एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- 10- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिये भी अधिकृत किया गया। तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता की सेवाओं के प्रबन्ध हेतु तैयार की गयी प्रणाली एवं सम्पत्ति क निरिक्षण में सहयोग प्रदान करें।
- 11- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह बहु-ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा बहु-ग्रामीण योजनाओं से सम्बन्धित अन्तर ग्राम सुविधाओं (यदि लागू हो तो) सामान्य सुविधाओं के संचालन प्रबन्धन एवं अधिकांश जलापूर्ति हेतु संयोजन करें।

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर:-

क्रम	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर या नि० अगुठों
1	श्रीमा सिंह	अध्यक्ष	श्रीमा सिंह
2	संजय सिंह चौहान	सचिव	संजय सिंह चौहान
3	शागिनी सिंह	कोषाध्यक्ष	शागिनी सिंह
4	दिनेश सिंह	सामान्य सदस्य	दिनेश सिंह
5	रमाकान्त	सामान्य सदस्य	रमाकान्त
6	सधुन्तला	सामान्य सदस्य	सधुन्तला
7	खेतली	सामान्य सदस्य	रमाशंकर मिश्र खेतली
8	रमाशंकर	सामान्य सदस्य	
9	शशी सिंह	सामान्य सदस्य	शशी
10	कुल्लू राम	सामान्य सदस्य	कुल्लू
11	रमेश कुमार सिंह	सामान्य सदस्य	रमेश कुमार सिंह
12	भानुचन्द	सामान्य सदस्य	भानुचन्द
13	मि श्रीलाल	सामान्य सदस्य	Shri Lal
14	दौटकु	सामान्य सदस्य	दौटकु
15	धर्मचंद्र बलहर सिंह	सामान्य सदस्य	धर्मचंद्र बलहर सिंह

